

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-2/ 27909/जो.जयपुर/2025/ दिनांक-

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका 12725/2020 मुनेश कुमारी, म.स्वा.कार्यकर्ता में पारित निर्णय दिनांक 06.11.2020 की पालना में सक्षम स्तर से नो अपील का निर्णय लिये जाने के फलस्वरूप निम्नांकित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अध्ययनरत जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी प्रशिक्षण कोर्स को उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार व प्रस्तुत आवेदन अनुसार राजस्थान सेवा नियम 110 एवं 112 के अन्तर्गत अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है -

क्र.सं.	कार्यिका का नाम एवं पद	पदस्थापन स्थान	कॉलेज का नाम	जीएनएम प्रशिक्षण अवधि
1	मुनेश कुमारी	उप स्वा केन्द्र पकोडी की ढाणी, प्रा.स्वा.केन्द्र, बुडाना, झुन्झुनु	सत्र 2020-2021 आदर्श पिलानी नर्सिंग स्कूल पिलानी, झुन्झुनु	1. दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक 02 वर्ष अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 01.04.2023 से 26.05.2023 तक 56 दिवस उपाजित अवकाश। 3. दिनांक 27.05.2023 से 30.03.2024 तक 309 दिवस का असाधारण अवकाश।

नोट- उक्त अवकाश अवधि का वेतन इनके मूल पदस्थापन स्थान से आहरित किया जावेगा। यदि मूल पदस्थापन स्थान पर पद भरे जाने की स्थिति में निदेशालय के पत्र क्रमांक 07 दिनांक 03.01.2024 की परिधि में आने पर प्रकरण में तदानुसार कार्यवाही की जावे।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-2/ 27909/जो.जयपुर/2025/12869047 दिनांक-13-01-2025
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. उप विधि परामर्शी मुख्यालय।
2. श्री अर्चित बोहरा, अतिरिक्त महाविध्वक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
3. डॉ० मनोज शर्मा, समन्वय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर।
4. समस्त संबंधित नियंत्रण/प्रशासनिक अधिकारी।
5. संबंधित केस प्रभारी अधिकारी।
6. संबंधित प्रधानाचार्य, जीएनएम प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।
7. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी, सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर आदेश अपलोड करें।
9. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date: 10-01-2025 08:00:04